मुख्य मंत्री विकास यात्रा

जा0शि0को0उद्योग (01) 04/08 वि0या0 2568

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
मुख्य सचिव का जन शिकायत कोषांग,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 10.7.09

विषयः– **मुख्य सचिव से प्राप्त मुख्य मंत्री विकास यात्रा के संदर्भ संख्या 1902930004 दिनांक 24.04.09/1902930210 दिनांक 12.06.09 एवं 2002390008 दिनांक 05.05.09 के अनुमोदन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि आपके पत्रांक 246 दिनांक 24.04.09 के साथ मुख्य मंत्री विकास यात्रा का संदर्भ संख्या क्रमशः 1902930004, पत्रांक 538 दिनांक 06.05.09, संदर्भ संख्या 1902930210 एवं पत्रांक 488 दिनांक 05.05.09 संदर्भ संख्या 2002930008 के संबंध में नियमानुकुल कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई पत्र (Action Taken Latter) तैयार कर प्रतिवेदन भेजने का अनुरोध निदेशक, तकनीकी निदेशालय से किया गया था। निदेशक द्वारा प्राप्त उपरोक्त तीन संदर्भ संख्या पर कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई पत्र पत्रांक 718, 719 एवं 724 दिनांक 03.07.09 द्वारा उप सचिव, उद्योग विभाग को उपलब्ध कराया गया है। जिसे मूल रूप में पत्र के साथ संलग्न कर मुख्य सचिव महोदय के अनुमोदनार्थ भेजा जा रहा है।

कृपया पावती स्वीकार करने की कृपा करें।

अनु0:–यथा उपरोक्त

विश्वासभाजन

10/7/09

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग,बिहार,पटना।

D:/JSK/Vinay/Janta Darbar.CM

बिहार सरकार
उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)

पत्रांक—डी०टी०डी / डी०—3 / 1 / 2009. 719 / पटना, दिनांक— 3/7/09

प्रेषक,

अशोक कुमार,
संयुक्त निदेशक(तक0)—सह—लोक सूचना पदाधिकारी,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सरकार के उप सचिव,
जन शिकायत कोषांग,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

विषयः— **मुख्य सचिव के कार्यालय से पत्रांक—488 वि0 या0 दिनांक—05 / 05 / 2009 के साथ विकास यात्रा 2009 के दौरान प्राप्त संदर्भ सं0—2002930008 के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक—1998 दिनांक—10 / 06 / 09 के साथ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के विकास यात्रा 2009 के दौरान प्राप्त संदर्भ संख्या—2002930008 के कमांक—23 & 24 में अंकित है कि अरियरी प्रखण्ड में तेल शोधक कारखाना एवं स्टील फैक्ट्री खोला जाय।

विदित है कि सरकार द्वारा कोई कारखाना स्थापित नहीं किया जाता है। राज्य में उद्योग स्थपना करने हेतु निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाता है। निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित किये जाने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006, सिंगल विन्डो क्लियरेन्स एक्ट एवं विजन 2015 तैयार कराया गया है, जिसके माध्यम से निजी पूँजी निवेश को आकर्षित कर उद्योग स्थापित कराया जाता है। प्रयास किया जा रहा है कि निजी उद्यमी द्वारा अरियरी प्रखण्ड,जिला— शेखपुरा में स्टील फक्ट्री एवं तेल शोधक कारखाना खुल सके। इसके लिए कमशः इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन एवं स्टील ऑथरिटी ऑफ इण्डिया से आवश्यक कारवाई हेतु लिखा जा सकता है।

कृपया मुख्य सचिव के जन शिकायत कोषांग मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का अनुमोदन Action Taken Letter पर प्राप्त किया जा सकता है।

विश्वासभाजन,

03 07 09

संयुक्त निदेशक(तक0)
—सह—
लोक सूचना पदा0,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।